Shri Vaishnav Vidyapeeth Vishwavidyalaya, Indore

SCHOLARSHIP POLICY 2026-27

S.No.	Scholarship Category	Scholarship
1.	Girl Student (First Year Only)	25% of tution fee or Rs.25,000 (whichever is less)
2.	Meritorious Students (For All Year) Eligibility- Ist Year - UG/PG- 10+2/ Graduation Marks II nd Year- Based on Ist Year Marks IIIrd Year- Based on II nd Year Marks and Respectively	
	81% TO 90.99% Marks	10%
	91% Marks and Above	20%
3.	Meritorious MBA/ Engineering Students (First Year Only) CAT/MAT/XAT/ATMA/C-MAT/JEE	
	71% to 84.99% Marks	10%
	85% Marks and Above	20%
4.	Student from Shri Vaishnav Group of Schools/ College	
5.	Employee and their Wards of SVVV and other Institute of Vaishnav Group (with income ≤ Rs.30000/- per month)	
6.	Physically Challenged Students	
7.	Children of Deceased/Retired Defense Personnel/Central Armed Police Force	25% of tution fee or Rs. 25,000 (whichever is less)
8.	Siblings (Only 1 Youngest Child)	
9.	Wards of Alumni	
10.	Sports/Arts/Cultural for National Level Winner Student	
11.	Teaching Assistanceship amounting will be offered to GATE qualified students pursuing M.Tech. Such Students will be required to conduct Labs equivalents to 10 hours of workload per week and assist the concerned faculty.	Rs. 15000/- per month
12.	Teaching Assistanceship amountingper month will be offered to Ph.D. Scholars in 04 year full time program during first two and later two years respectively subject to MHRD/UGC/AICTE guilelines.	Rs. 25000/- and 27000/- per month

- A student will not be eligible to receive more than one scholarship at the university/college/school/trust level.
- No scholarship will be directly provided at the institution level. If required, the case will be forwarded to the Trust Office with recommendations from the concerned authorities.
- A student must have at least 75% attendance to be eligible for the scholarship.
- The student must pay the fees within the prescribed (निर्धारित) date. If fees are paid late, the student will not be eligible for any scholarship.
- The adjustment of the scholarship amount to be provided will be made in the final installment upon timely payment of the other installment(s) of the tuition fee
- Scholarship will be applicable only on tuition fees.It will not include development fees, transport fees, or any other charges
- If a student gets ATKT (Allowed to Keep Terms) or supplementary in any semester/class during the program, they will not be eligible for the scholarship.
- Among real siblings studying in institutions of the same group, one youngest sibling will get 25% academic assistance, provided that the tution fee for both siblings deposited on time. In case of twins, only one will receive the benefit.

Clause for student Belonging to OBC/ST/SC Categories

- A student eligible for a government scholarship shall be deemed eligible for a scholarship provided at the University/College/School level only after adjusting the amounts received from the government in the form of scholarship, financial aid, or other fee reimbursement.
- If the government scholarship amount is equal to or exceeds the scholarship amount provided at the University/College/School level, the student shall not be granted any benefit by University/College/School.
- If the government scholarship amount is less than the scholarship provided at the University/College/School level, the University/College/School shall provide the difference amount, up to the prescribed maximum limit of the University/College/School scholarship

The implementation of the scheme will be carried out at the University/College/School level. For this, all the required formalities must be completed in the prescribed application form. After the recommendation of the institution head and officials, the application form along with the list will be sent to the Trust office for necessary further action, so that the Trust can make the payment of the scholarship amount to the concerned institution.

All scholarships will be effective from the upcoming academic session 2026–27.

श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय, इंदौर

छात्रवृत्ति संशोधित नियम 2026–27

क्रमांक	छात्रवृत्ति श्रेणी	छात्रवृत्ति
1.	छात्राएँ (केवल प्रथम वर्ष हेतु)	ट्यूशन फीस का 25% या ₹25,000 (जो भी कम हो)
2.	मेधावी छात्र (सभी वर्षों के लिए पात्र) पात्रता: प्रथम वर्ष – UG/PG: 10+2/स्नातक के अंको के आधार पर द्वितीय वर्ष – प्रथम वर्ष के अंकों के आधार पर तृतीय वर्ष – द्वितीय वर्ष के अंकों के आधार पर एवं क्रमशः	
	81% से 90.99% अंक	10%
	91% अंक या से अधिक अंक	20%
3.	मेधावी MBA/ इंजीनियरिंग विद्यार्थियों छात्र (केवल प्रथम वर्ष हेतु) – CAT/MAT/XAT/ATMA/CMAT/JEE	
	71% से 84.99% अंक	10%
	85% अंक या से अधिक	20%
4.	श्री वैष्णव समूह के स्कूल/कॉलेज के विद्यार्थी	
5.	SVVV एवं वैष्णव समूह के अन्य संस्थानों के कर्मचारी और उनके बच्चे (आय ₹30,000 प्रति माह या कम)	
6.	शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण (दिव्यांग) विद्यार्थी	ट्यूशन फीस का 25% या ₹25,000 (जो भी कम हो)
7.	दिवंगत/सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों/केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के बच्चों के लिए	
8.	भाई-बहन (केवल 1 छोटा बच्चा)	
9.	पूर्व विद्यार्थियों (Alumni) के बच्चे	
10.	राष्ट्रीय स्तर के खेल/कला/सांस्कृतिक विजेता विद्यार्थी	
11.	GATE उत्तीर्ण M.Tech छात्रों के लिए टीचिंग असिस्टेंटशिप दी जाएगी। ऐसे छात्रों को प्रति सप्ताह 10 घंटे के कार्यभार के बराबर लैब का संचालन करना होगा और संबंधित फैकल्टी की सहायता करनी होगी।	₹15,000 प्रति माह
12.	Ph.D (4वर्षा फुल टाइम) विद्यार्थियों को प्रति माह की टीचिंग अस्सिस्टेंशिप प्रथम दो वर्ष एवं अंतिम दो वर्ष MHRD / UGC / AICTE की गाइडलाइन के अनुसार प्रदान की जाएगी।	₹ 25000 /- एवं ₹ 27000 /- प्रति माह

- कोई भी विद्यार्थी विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / विद्यालय / ट्रस्ट स्तर पर एक से अधिक छात्रवृत्ति का लाभ लेने के लिये पात्र नही होगा।
- संस्था स्तर पर किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति प्रदाय नही की जायेगी यदि आवश्यक हो तो संबंधित संस्था के पदाधिकारियों की अनुशंसा के साथ प्रकरण ट्रस्ट कार्यालय को भेजा जायेगा।
- कोई भी विद्यार्थी विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / विद्यालय स्तर पर 75 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति होने पर ही छात्रवृत्ति का लाभ लेने के लिये पात्र होगा।
- कोई भी विद्यार्थी विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / विद्यालय स्तर पर छात्रवृत्ति की पात्रता हेतु छात्र / छात्रा द्वारा निर्धारित तिथि तक शुल्क जमा कराना आवश्यक होगा। विलंब से शुल्क जमा करने पर किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति की पात्रता नही होगी।
- प्रदाय की जाने वाली छात्रवृत्ति राशि का समायोजन शिक्षण शुल्क की अन्य किश्त समय पर जमा करने पर अंतिम किश्त मे किया जायेगा।
- छात्रवृत्ति की गणना केवल शिक्षण शुल्क पर लागू होती है, इसमें विकास शुल्क, परिवहन शुल्क एवं अन्य कोई शुल्क शामिल नही किया जायेगा।
- यदि किसी विद्यार्थी को पूरे पाठयक्रम के दौरान किसी भी सेमेस्टर / कक्षा में एटीकेटी / सप्लीमेंट्री आती है तो उस स्थिति मे वह विद्यार्थी छात्रवृत्ति के लिये पात्र नही होगा।
- श्री वैष्णव समूह के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय मे अध्ययनरत सगे भाई बहनो मे से किसी भी एक छोटे भाई / बहन को जो उसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय मे अध्ययनरत हो उसे 25 प्रतिशत शैक्षणिक सहायता दी जायेगी। बशर्ते भाई / बहन दोनो का शिक्षण शुल्क समय पर जमा किया हो।

OBC, SC, ST वर्ग के छात्रों के लिये नियम –

- शासकीय छात्रवृत्ति के लिये पात्र विद्यार्थी को शासन से प्राप्त छात्रवृत्ति, वित्तीय सहायता, अन्य शुल्क प्रतिपूर्ति की राशि को समायोजित करने के पश्चात ही विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / विद्यालय स्तर पर प्रदाय छात्रवृत्ति की पात्रता निर्धारित की जावेगी।
- यदि शासकीय छात्रवृत्ति विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / विद्यालय स्तर पर प्रदाय छात्रवृत्ति राशि के बराबर या उससे अधिक है तो विद्यार्थी को विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / विद्यालय द्वारा कोई लाभ प्रदान नही किया जायेगा।
- यदि शासकीय छात्रवृत्ति विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / विद्यालय स्तर पर प्रदाय छात्रवृत्ति से कम है तो विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / विद्यालय छात्रवृत्ति की निर्धारित अधिकतम सीमा के अंतर की राशि विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / विद्यालय द्वारा दी जावेगी।

उपरोक्त योजना का कियान्वयन विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / विद्यालय स्तर पर किया जायेगा जिसके लिये पूर्वानुसार निर्धारित आवेदन पत्र मे आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण कराई जाकर संस्था प्रमुख एवं पदाधिकारियों की अनुशंसा उपरांत सूची सहित आवेदन पत्र न्यास कार्यालय को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जायेगे जिससे कि न्यास द्वारा संबंधित संस्था को छात्रवृत्ति राशि का भुगतान किया जा सके।

उपरोक्त समस्त छात्रवृत्ति आगामी शैक्षणिक सत्र 2026–27 से प्रभावशील होगी।